विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 189 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/45
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा,
जिला बालोद
बी.पी. नं. **1001377443**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के वाटर वर्क्स हेतु स्थापित 11 अश्वशक्ति के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 26.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1001377443 से संबंधित वाटर वर्क्स विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/45 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, पिछले तीन वर्षों का बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1001377443 में स्थापित पुराने एल एंड टी (L&T) मीटर को कंपनी के नियमानुसार दिनांक 23.09.2025 को स्मार्ट मीटर से प्रतिस्थापित किया गया। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग (Final Reading) 245177 दर्ज की गई।

अनावेदकों द्वारा यह भी बताया गया कि माह अगस्त 2025 में मीटर खराब होने के कारण पूर्ववर्ती 12 माह की औसत खपत के आधार पर 3267 यूनिट की बिलिंग की गई। माह सितम्बर 2025 में त्रुटिवश 2045 यूनिट की औसत बिलिंग हो गई, जिसके कारण शेष 1222 यूनिट की बिलिंग बाद में की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि परिसर में कैपेसिटर स्थापित न होने के कारण पावर फैक्टर निर्धारित मानक से कम दर्ज हो रहा है।

3. फोरम का परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग के परीक्षण से फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है–

1. प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से मीटर रीडिंग में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा ऊर्जा मापन में त्रुटि प्रमाणित नहीं होती।

2. माह सितम्बर 2025 में औसत बिलिंग में हुई त्रुटि के कारण शेष 1222 यूनिट की बिलिंग बाद में की गई, जो प्रस्तुत गणना पत्रक के अनुसार उचित प्रतीत होती है।

3. प्रस्तुत अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि उपभोक्ता के कनेक्शन में पावर फैक्टर निर्धारित मानक से कम दर्ज हो रहा है। अतः प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना नियमसंगत है। पावर फैक्टर को मानक स्तर पर बनाए रखने हेतु उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त क्षमता का कैपेसिटर स्थापित किया जाना आवश्यक है।

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता हैकृ

1. प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर बी.पी. क्रमांक 1001377443 की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में किसी प्रकार की अनियमितता सिद्ध नहीं होती। अतः इस संबंध में आवेदक का दावा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

2. पावर फैक्टर निर्धारित मानक से कम पाए जाने के कारण लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता।

3. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि वाटर वर्क्स कनेक्शन में आवश्यक क्षमता का कैपेसिटर स्थापित कर पावर फैक्टर को प्रचलित मानक स्तर पर बनाए रखें, जिससे भविष्य में पावर फैक्टर सरचार्ज से बचा जा सके।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग